रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 1986/21 अग्रहायण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 सितम्बर, 1986

संख्या डी०एल०आर०-2/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल

2660-राजपत्र/86-12-12-86—1,224. (2227) मूल्य: 20 पैसे।

प्रदेश जनरल क्लाजिज ऐक्ट, 1968" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह, राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968

हिमाचल प्रदेश के अधिनियमों में प्रयुक्त भाषा को संक्षिप्त करने के लिए और ऐसे अधिनियमों के अर्थान्वयन और उनसे सम्बन्धित अन्य विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

साधारण परिभाषाएं

2. इस अधिनियम और सभी हिमाचल प्रदेश अधिनियमों में, जब तक कोई बात, विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—

(1) "दुष्प्रेरण" का उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) में है;

(2) "कार्य" का प्रयोग जब किसी अपराध या सिविल दोष के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उसके अन्तर्गत कार्यावली आएगी और उन शब्दों का जो दिए गए कार्यों के प्रति निर्देश करते हैं विस्तार अवैध लोप पर्यन्त भी होगा;

(3) XXX XXX XXX;

(4) "शपथ-पत्र" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को दशा में, जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान और घोषणा आएगी;

(5) "बैरिस्टर" से इंगलैण्ड या आयरलैण्ड का बैरिस्टर या स्काटलैण्ड की फैकल्टी आफ एडवोकेट्स का सदस्य अभिप्रेत होगा ;

(6) "अध्याय" से हिमाचल प्रदेश अधिनियम का वह अध्याय अभिप्रेत होगा जिसमें वह शब्द आता है;

(7) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत उपायुक्त भी आएगा;

(8) "प्रारम्भ" का प्रयोग जब हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम के प्रति निर्देश से किया जाता है, तो उससे वह दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन वह अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(9) "आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश का मण्डलायुक्त अभिप्रेत होगा;

(10) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत होगा ;

(11) "कौंसलीय अधिकारी" के अन्तर्गत महा कौन्सल, कौंसल, उप-कौंसल, कौंसलीय अभिकर्ता, प्रोकौंसल और महा कौन्सल, कौंसल, उप-कौंसल या कौंसलीय अभिकर्ता के कर्तव्यों के पालन के लिए तत्समय प्राधिकृत कोई व्यक्ति आएंगे;

(12) "उपायुक्त" से किसी जिले के साधारण प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत होगा;

(13) "जिला न्यायाधीश" से आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत होगा किन्तु अपनी मामूली या गैर-मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता हुआ उच्च-न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आएगा;

(14) "दस्तावेज" के अन्तर्गत ऐसा कोई विषय आएगा, जिस को किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों या उनमें से एक से अधिक द्वारा लिखित, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो इस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के उपयोग किए जाने के लिए आशयित है या उपयोग किया जा सके;

(15) "अधिनियमिति" के अन्तर्गत किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध आयेगा;

(16) "पिता" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी स्वीय-विधि के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है, कोई दत्तक पिता आएगा;

(17) "वित्त आयुक्त" से हिमाचल प्रदेश का वित्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(18) "वित्तीय वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत होगा;

(19) कोई बात "सद्भावपूर्वक" की गई समझी जाएगी, जहां वह तथ्यतः इमानदारी से की गई है, चाहे वह उपेक्षा से की गई है या नहीं;

(20) "सरकार" के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों आएगी;

(21) "हिमाचल प्रदेश अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम अभिप्रेत होगा, और इसके अन्तर्गत होंगे, हिमाचल प्रदेश भाग "ग" राज्य की विधान सभा द्वारा या राज्य संघ क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य संघ क्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित कोई अधिनियम या प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व यथा विद्यमान हिमाचल प्रदेश पर भारत सरकार द्वारा विस्तारित किसी अन्य राज्य का कोई अधिनियम या भूतपूर्व शासक का तथा हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में प्रवृत्त कोई अधिनियम या पंजाब पुनगठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में उक्त अधिनियम की धारा 88 के आधार पर प्रवृत्त कोई पंजाब अधिनियम;

(22) "स्थावर सम्पत्ति" के अंतर्गत होगी: भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और वे चीजें, जो भू-बद्ध हों या किसी भू-बद्ध वस्तु से स्थायी रूप से संलग्न हैं;

(23) "कारावास" से भारतीय दण्ड संहिता में यथा परिभाषित दोनों में से किसी प्रकार का कारावास अभिप्रेत होगा;

(24) XXX XXX XXX;

(25) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, जिला परिषद्, पंचायत समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकरण जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसे ऐसा नियन्त्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा सौंपा गया है, अभिप्रेत होगा;

(26) "मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत ऐसा हर व्यक्ति आएगा जो, तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है;

(27) "मास्टर" का प्रयोग जब किसी पोत के बारे में किया जाता है, तब उससे (पायलट या बन्दरगाह मास्टर से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो उस समय पोत का नियन्त्रण या भारसाधन कर रहा है ;

(28) "मास" से ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित मास अभिप्रेत है ;

(29) "जंगम सम्पत्ति" से स्थावर सम्पत्ति के सिवाय हर प्रकार की सम्पत्ति अभिप्रेत होगी;

(30) "अधिसूचना" से राजपत्र में समुचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत होगी ;

(31) "शपथ" के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान और घोषणा आएगी;

(32) "अपराध" से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया है ;

(33) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, अभिप्रेत होगा;

(34) "भाग" से उस हिमाचल प्रदेश अधिनियम का, जिसमें वह शब्द आता है, भाग अभिप्रेत होगा ;

(35) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी, या संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आएगा ;

1860 का 45 (36) "लोक न्यूसैंस" से भारतीय दण्ड संहिता में यथो परिभाषित लोक उपताप अभिप्रेत होगा;

(37) "रजिस्ट्रीकृत" का उपयोग जब किसी दस्तावेज के बारे में किया जाता है तब उससे दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत विधि के अधीन किसी राज्य में या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत होगा ;

(38) "नियम" से किसी अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग से बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत होगा, और किसी अधिनियमिति के अधीन नियम के रूप में बनाया गया कोई विनियम इसके अन्तर्गत आएगा ;

(39) "अनुसूची" से हिमाचल प्रदेश के उस अधिनियम की, जिसमें वह शब्द आता है, अनुसूची अभिप्रेत होगी ;

(40) "अनुसूचित जिला" से शैड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, 1874 में यथा परिभाषित अनुसूचित जिला अभिप्रेत होगा ;

(41) "धारा" से हिमाचल प्रदेश के उस अधिनियम की, जिसमें वह शब्द आता है, धारा अभिप्रेत होगी ;

(42) "पोत" के अन्तर्गत नौ परिवहन में प्रयोग में लाया जाने वाला हर प्रकार का ऐसा जलयान आएगा जो केवल पतवारों से चालित न हो;

(43) "संकेत" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश से, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, और चिन्ह अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित आएगा ;

(44) "पुत्र" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी स्वीय-विधि के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है, दत्तक पुत्र आएगा;

(45) XXX XXX XXX

(46) XXX XXX XXX;

(47) "उप-धारा" से किसी धारा की वह उप-धारा अभिप्रेत होगी ; जिसमें वह शब्द आता है ;

(48) "शपथ लेना" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान करना और घोषणा करना आएगा ;

(49) "जलयान" के अन्तर्गत कोई पोत या नौका या नौ परिवहन में, उपयोग में आने वाला किसी अन्य प्रकार का जलयान आएगा ;

(50) "बिल" के अन्तर्गत कोड़ पत्र और सम्पत्ति का स्वेच्छात्या मरणोत्तर व्ययन करने वाला लेख आएगा ;

(51) "लेखन" के प्रति निर्देश करने वाले पदों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो-चित्रण और शब्दों का एक दृष्य रूप में रूपण या प्रत्युत्पादन करने की अन्य रीतियों के प्रति निर्देश हैं; और

(52) "वर्ष" से ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित वर्ष अभिप्रेत होगा।

अधिनियमितियों का प्रवृत्त होना।

3. जहां हिमाचल प्रदेश अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं है, वहां वह उस दिन प्रवर्तन में आएगा जिस दिन उस पर यथास्थिति, राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति की अनुमति शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

निरसन का प्रभाव।

4. जहां यह अधिनियम या कोई हिमाचल प्रदेश अधिनियम किसी अधिनियमिति को निरसित करता है, वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, वह निरसन—

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को पुनरुज्जीवित नहीं करेगा; या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर या तदधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) किसी यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा ;

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो;

अधिनियम में पाठीय संशोधन करने वाले अधिनियम का निरसन।

5. जहां इस अधिनियम के पश्चात् बनाया गया हिमाचल प्रदेश का कोई अधिनियम किसी ऐसी अधिनियमिति को निरसित करता है, जिसके हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम का पाठ किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तः स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया गया था, वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, वह निरसन इस प्रकार निरसित और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तनशील उस अधिनियमिति द्वारा किए गए किसी ऐसे संशोधन के चालू रहने पर प्रभाव नहीं डालेगा।

निरसित अधिनियमितियों का पुनरुज्जीवित होना।

6. पूर्णतः या भागतः निरसित किसी अधिनियमिति को पूर्णतः या भागतः पुनरुज्जीवित करने के प्रयोजन के लिए उस प्रयोजन का कथन हिमाचल प्रदेश अधिनियम में अभिव्यक्त करना आवश्यक होगा।

निरसित अधिनियमितियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन।

7. जहां यह अधिनियम या हिमाचल प्रदेश का कोई अन्य अधिनियम, पूर्व अधिनियमिति के किसी उपबन्ध को निरसित और उपांतरण सहित या उसके बिना पुनः अधिनियमित करता है, वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे निरसित उपबन्ध के प्रति किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखित में के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस प्रकार पुनः अधिनियमिति के उपबन्ध के प्रति निर्देश हैं।

समय का प्रारम्भ और पर्यवसान।

8. किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम में दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के पहले दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए, "से" शब्द का उपयोग और दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य अवधि में के अन्तिम दिन को अन्तर्विष्ट करने के प्रयोजन के लिए "तक" शब्द का उपयोग पर्याप्त होगा।

समय की संगणना।

9. जहां किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी कार्य या कार्यवाही का किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन को या किसी विहित अवधि में सम्मिलित किया जाना निर्दिष्ट या अनुज्ञात है, वहां यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन या उस विहित कालावधि के अन्तिम दिन बन्द है, और वह कार्य या कार्यवाही उसके निकट आगामी दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुलता है, की जाती है तो वह सम्यक् समय में की गई कार्यवाही मानी जाएगी :

परन्तु उस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी कार्य या कार्यवाही को लागू नहीं होगी, जिसे भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) लागू होता है।

दूरियों का माप।

10. हिमाचल प्रदेश अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी दूरी का माप करने में उस दूरी को, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो क्षेतिज समतल पर सरल रेखा में मापा जाएगा।

अधिनियमितियों में शुल्क का आनुपातिक समझा जाना।

11. जहां इस समय प्रवृत्त या इसके पश्चात् प्रवृत्त होने वाली किसी अधिनियमिति द्वारा कोई सीमा-शुल्क या उत्पाद-शुल्क या ऐसी ही प्रकृति का कोई शुल्क किसी माल या वाणिज्य के किसी दिए गए परिमाण पर, भार, माप या मूल्य के अनुसार उद्ग्रहणीय है, वहां किसी अधिक या न्यून परिमाण पर वैसा ही शुल्क उसी दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा।

लिंग और वचन।

12. हिमाचल प्रदेश के सभी अधिनियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) पुलिंग वाचक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग भी आएंगे ; और

(2) एकवचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन और बहुवचन शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आएगा ।

शक्तियां और कृत्यकारी

राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का समय-समय पर प्रयोक्तव्य होना ।

13. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को कोई शक्ति प्रदत्त की जाती है तो उस शक्ति का प्रयोग समय-समय पर यथा अपेक्षित अवसर के अनुसार किया जाएगा ।

नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त कराने की शक्ति का होना ।

14. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा किसी पद को भरने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त है, वहां जब तक अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो, ऐसी नियुक्ति या तो नाम से या पदाभिधान से की जा सकेगी ।

नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित या पदच्युत करने की शक्ति का होना।

15. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम के द्वारा कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त है, वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, तत्समय नियुक्ति करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को, अपने द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, उस शक्ति के प्रयोग में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को निलम्बित या पदच्युत करने की भी शक्ति होगी ।

कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन ।

16. हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम में, यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि कोई विधि किसी पद के कृत्यों का तत्समय निष्पादन करने वाले हर व्यक्ति या व्यक्ति संख्या को लागू है वर्तमान में कृत्यों का निष्पादन करने वाले अधिकारी के या उस अधिकारी के, जिसके द्वारा कृत्य सामान्यतः निष्पादित किए जाते हैं, पद नाम का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा ।

उत्तरवर्ती

17. हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम में, किन्हीं कृत्यकारियों के या शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाले निगमों के उत्तरवर्तियों से किसी विधि के सम्बन्ध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए, कृत्यकारियों से या निगमों से उसका सम्बन्ध अभिव्यक्त कर देना पर्याप्त होगा ।

कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ।

18. किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम में कार्यालय के मुख्य या वरिष्ठ से सम्बन्धित अधिसूचना, जारी करने या आदेश, नियम या उप-विधियां बनाने की शक्ति वरिष्ठ के कर्तव्यों को विहित करने के लिए उन उपपदीयों या अधीनस्थ को, जो अपने वरिष्ठ के स्थान पर उस पद के कर्तव्यों का वैध रूप में पालन कर रहे हैं, लागू होंगी।

अधिनियमितियों के अधीन किए गए आदेशों या बनाए गए नियमों आदि के बारे में उपबन्ध

अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए आदेशों आदि का अर्थान्वयन।

19. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम नियम, प्ररूप या उप-विधि बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है वहां अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या प्रयुक्त पदों के, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे, जो शक्ति प्रदत्त करने वाले अधिनियम में है।

आदेश, नियम या उप-विधियां बनाने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोड़ने, संशोधन करने, फेरफार करने या विखण्डन करने की शक्ति का होना।

20. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा अधिसूचना जारी करने या आदेश, नियम या उप-विधियां बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है, वहां इस प्रकार जारी की गई अधिसूचनाओं या बनाए गए किन्हीं आदेशों, नियमों या उप-विधियों में जोड़ने, उनका संशोधन करने, फेरफार करने या विखण्डन करने की वैसी ही रीति में और वैसी ही मंजूरी और शर्तों के (यदि कोई हों) अधीन रहते हुए प्रयोक्तव्य शक्ति उस शक्ति के अन्तर्गत आती है।

अधिनियमिति के पारित और प्रारम्भ होने के बीच नियमों या उप-विधियों का बनाया जाना और आदेशों का जारी किया जाना।

21. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी ऐसे अधिनियम के, जिसे अपने पारित होते ही प्रवृत्त नहीं होना है, लागू होने के बारे में, या तदधीन किसी न्यायालय या कार्यालय की स्थापना या किसी न्यायाधीश या अधिकारी की नियुक्ति के बारे में या उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा या उस समय के जब, या उस स्थान के जहां, या उस रीति के जिसमें, या उन फीसों के जिनके संदाय पर, उस अधिनियम के अधीन कोई बात की जानी है, बारे में नियम या उप-विधियां बनाने या आदेश जारी करने की शक्ति, उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त है, वहां वह शक्ति उस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् ही किसी भी समय प्रयोग में लाई जा सकेगी, किन्तु इस प्रकार बनाए गए नियम या उप-विधियां या जारी किए गए आदेश अधिनियम के प्रारम्भ न होने तक प्रभावशील नहीं होंगे।

नियमों या उप-विधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने में लागू होने वाले उपबन्ध।

22. जहां हिमाचल प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा नियम या उप-विधियां बनाने की शक्ति का इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया जाना अभिव्यक्त है कि नियम या उप-विधियां पूर्व-प्रकाशन के पश्चात् बनाई जाएं, वहां जब तक ऐसे अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

(1) नियमों या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी, उन्हें बनाने के पूर्व प्रस्थापित नियमों या उप-विधियों का प्रारूप तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा ;

(2) प्रकाशन, ऐसी रीति में, जो वह प्राधिकारी पर्याप्त समझता है, या यदि पूर्व प्रकाशन के बारे में की शर्त ऐसी अपेक्षा करती है तो ऐसी रीति से, जैसी कि सरकार विहित करे, किया जाएगा ;

(3) उस प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जाएगी, जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिस तारीख को या के पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जाएगा ;

(4) नियमों या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी, और जहां नियम या उप-विधियां किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति, अनुमोदन या सहमति से बनाई जानी है, वहां वह प्राधिकारी भी ऐसे किसी आक्षेप व सुझाव पर विचार करेगा, जो नियमों या उप-विधियों को बनाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस प्रारू के बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जाए ;

(5) नियमों या उप-विधि को, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शक्ति के प्रयोग में बनाए गए तात्पर्यित नियम या उप-विधि का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह नियम या उप-विधि सम्यक् रूप से बनाई गई है।

निरसित और पुनः अधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए आदेशों आदि का चालू रहना।

23. जहां कोई हिमाचल प्रदेश अधिनियम, उपान्तरों सहित या रहित निरसित और पुनः अधिनियमित किया जाता है, वहां जब तक अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित न हो, निरसित अधिनियम के अधीन की गई या जारी की गई कोई नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि जहां तक पुन : अधिनियमित उपबन्धों से असंगत नहीं है प्रवृत्त बनी रहेगी, और पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गई या निकाली गई समझी जाएगी, जब तक कि वह इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गई किसी नियुक्ति या निकाली गई किसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दी जाती है।

प्रकीर्ण

जुर्मानों की वसूली।

24. भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 63 से लेकर 78 तक और जुर्मानों के उद्ग्रहण के लिए वारंटों के निकाले जाने और निष्पादन करने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध किसी भी अधिनियम, नियम या उप-विधि के अधीन अधिरोपित सब जुर्मानों को लागू होंगे, जब तक कि सम्बद्ध अधिनियम, नियम या उप-विधि में कोई प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट न हों।

दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के बारे में उपबन्ध ।

25. जहां कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन अपराध गठित करता है वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों या उनमें से किसी के भी अधीन अभियोजनीय और दण्डनीय बनाए जाने के दायित्व के अधीन होगा, किन्तु उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित किए जाने के दायित्वाधीन नहीं होगा ।

डाक द्वारा तामील का अर्थ ।

26. जहां कोई हिमाचल प्रदेश अधिनियम, किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है, चाहे "तामील करना" पद का या "देना" या "भेजना" पदों में से किसी का या किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो, वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट करने वाला पत्र उचित रूप से पता लिख कर, उस पर पूर्ण संदाय करके, उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, डाक में भेजना तामील हुआ समझा जाएगा और जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह समझा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है, जब वह पत्र डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता है ।

अधिनियमितियों का प्रोद्धरण ।

27. (1) इस अधिनियम का किसी अन्य हिमाचल प्रदेश अधिनियम में और ऐसे अधिनियम के अधीन या उसके प्रति निर्देश से बनाए गए किसी नियम, उप-विधि, लिखत या दस्तावेज में, किसी अधिनियमिति को उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो) के प्रति निर्देश से या उसके संख्यांक और वर्ष के प्रति निर्देश से प्रोद्धृत किया जा सकेगा और किसी अधिनियमिति के किसी भी उपबन्ध को उस अधिनियमिति की, जिसमें वह उपबन्ध है, धारा या उप-धारा के प्रति निर्देश से प्रोद्धृत किया जा सकेगा ।

(2) किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम में किसी दूसरी अधिनियमिति के प्रभाग के वर्णन या प्रोद्धरण का, जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत वह शब्द, धारा या अन्य भाग आता है जिसका इस रूप में उल्लेख या निर्देश है कि वह उस वर्णन या प्रोद्धरण में समाविष्ट प्रभाग का आरम्भ है और अन्त है ।

अधिनियम का अध्यादेशों और विनियमों को लागू होना ।

[27-अ (1) इस अधिनियम के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश के या संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किसी विनियम के सम्बन्ध में, उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गए, हिमाचल प्रदेश के अधिनियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(2) इस अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित किसी अध्यादेश की समाप्ति, प्रत्याहरण या निरसन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा अध्यादेश, हिमाचल प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियमित रहा हो ।]

निरसन और व्यावृत्ति ।

28. हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त पंजाब जनरल क्लाज़िज़ ऐक्ट, 1898 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 सितम्बर, 1986

संख्या डी0 एल0 आर0-5/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश ऐग्रिकल्चरल पैस्टस, डिजीज़िज़ ऐण्ड नाक्शस बीड्ज ऐक्ट, 1969" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह, राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कृषि नाशक जीव, रोग तथा हानिकर खरपतवार अधिनियम, 1969

(1969 का 18)

(31 दिसम्बर, 1984)

(21 मई, 1969)

हिमाचल प्रदेश राज्य में फसलों, पौधों या वृक्षों के लिए हानिकर नाशक जीवों, पादप रोगों और हानिकर खरपतवार के पैदा होने, प्रसार या फिर से प्रकट होने के निवारण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

भाग–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि नाशक जीव, रोग और हानिकर खरपतवार अधिनियम, 1969 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो––

(1) "नाशक जीव" से ऐसा कोई कीट, वंशेरूकी, या अवंशेरूकी जन्तु अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा नाशक जीव घोषित किया गया है ;

(2) "निरीक्षक" से धारा 10 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(3) "अधिसूचित क्षेत्र" से धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें उक्त धारा के अधीन की गई कोई घोषणा प्रवृत रहेगी;

(4) "हानिकर खरपतवार" से कोई ऐसा खरपतवार अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा हानिकर खरपतवार घोषित किया गया हो ;

(5) "अधिभोगी" से किसी भूमि या परिसर के अधिभोग का तत्समय अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता या भूमि या परिसर का वास्तव में अधिभोगी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकरण है जिसके पास अधिभोग का ऐसा अधिकार या ऐसा वास्तविक कब्जा है ;

(6) "पादप" के अन्तर्गत सभी कृषि या उद्यान कृषि की फसलें, वृक्ष, क्षुप या बूटियां या बीज, फल या उनका कोई अन्य भाग आता है जिनका मनुष्य या पशु के खाद्य के लिए अथवा कला या विनिर्माण से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है ;

(7) "पादप रोग" से कोई क्वकीय, जीवाणुक विषाणु, परजीवी या अन्य रोग अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा पादप रोग घोषित किया गया है ;

(8) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(9) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

(10) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है ।

भाग–2

नाशक जीव, पादप रोग और हानिकर खरपतवार

कीट वशेरुकी या अवशेरुकी जन्तु, पादप रोग तथा हानिकर खरपतवार को घोषित करने तथा उनका उन्मूलन या निवारण करने के उपाय को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

3. जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कोई कीट, वशेरुकी या अवशेरुकी की जन्तु, रोग या खरपतवार किसी स्थानीय क्षेत्र के पादप के लिए हानिकर है और ऐसे कीटों, वशेरुकी या अवशेरुकी जन्तुओं, रोगों या खरपतवार का उन्मूलन अथवा उनके पैदा होने, प्रसार या पुनः प्रकट होने का निवारण करने का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,––

(i) ऐसे कीट, वशेरुकी या अवशेरुकी जन्तु को नाशक जीव अथवा ऐसे रोग या खरपतवार को क्रमशः पादप रोग या हानिकर खरपतवार घोषित कर सकेगी;

(ii) उस स्थानीय क्षेत्र को और उस अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके भीतर और जिसके दौरान ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहेगी ;

(iii) किसी पादप, मिट्टी, मृदा, खाद या किसी अन्य वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, ले जाने या हटाने को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ;

(iv) नाशक जीव, रोग या खरपतवार का उन्मूलन करने या उसके पैदा होने, प्रसार या फिर से प्रकट होने का निवारण करने के उद्देश्य से ऐसे निवारक या उपचारात्मक उपाय, जिनके अन्तर्गत ऐसे नाशक जीव, पादप रोग या हानिकर खरपतवार या किसी पादप का नाश करना भी है, करने के लिए जैसा राज्य सरकार आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगी; और

(v) ऐसा अवधि विहित कर सकेगी जिसके भीतर सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट फसल का रोपण विधिपूर्ण नहीं होगा ।

धारा 3 के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर अधिभोगी के कर्तव्य

4. (1) धारा 3 के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अभिभोगी ऐसी अधिसूचना में वर्णित निवारक या उपचारात्मक उपाय करने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र पर टिड्डी दल द्वारा आक्रमण किए जाने या आक्रमण होने के खतरे की दशा में, जिले का कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिले के निवासी किसी पुरुष से, जो 14 वर्ष की आयु से कम का न हो, अपेक्षा कर सकता है कि वह टिड्डियों के संबंध में निवारक या उपचारात्मक उपाय करने में और उनका नाश करने में सभी सम्भव सहायता दे :

परन्तु यह तब जबकि,––

(i) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था या किसी अन्य शारीरिक निरयोग्यता के कारण सहायता देने में असमर्थ है, अथवा जो उस स्थान से जहां उसकी उपस्थिति वांछित है, पांच मील से अधिक की दूरी पर रहता है, ऐसी किसी सहायता के लिए नहीं बुलाया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवाओं के लिए अधिसूचित करना आवश्यक नहीं होगा और डोंडो पिटवाकर या गांव या परिक्षेत्र में अन्य रूढ़िगत ढंग से उद्घोषणा करा देना ही उस गांव या परिक्षेत्र में रहने वाले सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा;

(iii) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (2) के अधीन उससे अपेक्षित सहायता देने में असफल रहता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा या व्यतिक्रम की दशा में, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दस दिन से अधिक नहीं होगी, दण्डनीय होगा और अपराध पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 269 में उपबंधित के अनुसार संक्षेपतः विचारण किया जाएगा

निरीक्षक की किसी भूमि पर या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति ।

5. कोई निरीक्षक विहित नोटिस देने के बाद अपनी स्थानीय अधिकारिता वाले अधिसूचित क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि पर या परिसर में यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा कि :—

(i) क्या ऐसी भूमि या परिसर में कोई नाशकजीव, पादप रोग या हानिकर खरपतवार; और

(ii) क्या धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वर्णित निवारक या उपचारात्मक उपायों का या दोनों का, जैसी भी स्थिति द्वारा अपेक्षित हो, पालन किया गया है ।

निवारक या उपचारात्मक उपायों को कार्यरूप देने के लिए अधिभोगी को नोटिस ।

6. (1) यदि, धारा 5 के अधीन किसी भूमि या परिसर का निरीक्षण करने पर, निरीक्षक को पता चलता है कि ऐसी भूमि या परिसर में कोई नाशक जीव, पादप रोग या हानिकर खरपतवार है और धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वर्णित निवारक या उपचारात्मक उपायों को कार्यरूप नहीं दिया गया है तो निरीक्षक, राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसी भूमि या परिसर के अधिभोगी को, लिखित नोटिस द्वारा कह सकेगा कि वह ऐसे नोटिस में बताए गए समय के भीतर ऐसे निवारक या उपचारात्मक उपायों को कार्यरूप दे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उस पर नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर अधिभोगी, समाहर्ता या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपील प्राप्त करने पर, यथास्थिति, समाहर्ता या अन्य अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में वर्णित कालावधि बढ़ा सकेगा और अधिभोगी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

(4) इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन पारित किया गया आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

धारा 6 के अधीन नोटिस के अनुपालन में असफलता और उपायों को कार्यरूप देने की निरीक्षक की शक्ति ।

7. (1) यदि कोई अधिभोगी, जिस पर धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की गई है उसमें दिए गए समय के भीतर ऐसे नोटिस का अनुपालन नहीं करता है या यदि धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन अपील की गई है, ऐसी अपील में पारित किए गए ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेश का पालन नहीं करता है, तो निरीक्षक ऐसे नोटिस या आदेश में वर्णित निवारक या उपचारात्मक उपाय अधिभोगी के खर्च पर करा सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए किन्हीं निवारक या उपचारात्मक उपायों का खर्च अधिभोगी द्वारा संदेय होगा और भू-राजस्व की बकाया के रूप में उससे वसूलीय होगा ।

(3) कोई ऐसा अधिभोगी, उससे ऐसे खर्च की पहली बार मांग करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, समाहर्ता को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, निम्नलिखित आधार पर अपील कर सकेगा कि :—

(i) खर्च में मजदूरी, सामग्री या उपकरणों के उपयोग के खर्च से भिन्न मदों के लिए प्रभार सम्मिलित है; या

(ii) मजदूरी या सामग्री या उपकरणों के उपयोग के लिए प्रभार अनुचित रूप से अधिक है ;

(iii) उप-धारा (3) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, समाहर्ता, या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसा आदेश दगा जैसा वह उचित समझे;

(iv) उप-धारा (4) के अधीन पारित आदेश अंतिम और निश्चायक होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

नाशकजीव, पादप रोग या हानिकर खरपतवार के प्रकटीकरण पर कतिपय ग्रामीण अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्तव्य ।

8. (1) अधिसूचित क्षेत्र के साथ लगने वाले किसी ग्राम में यदि कोई नाशकजीव, पादप रोग या हानिकर खरपतवार प्रकट होता है, तो ऐसे ग्राम का पटवारी या नम्बरदार ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, तुरन्त रिपोर्ट करेगा ।

(2) उपर्युक्त अधिकारी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, इसे उस पर अपने टिप्पण सहित, निदेशक, कृषि विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेजगा ।

अपराध और शक्तियां ।

9. (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के निदेशों के उल्लंघन में किसी पादप, मिट्टी, मलबे, खाद या किसी अन्य वस्तु को हटाता है, वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर, जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा या व्यतिक्रम की दशा में दस दिन से अनधिक अवधि के साधारण कारावास से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी अधिभोगी, जो धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन दिए गए नोटिस या धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन अपील पर पारित किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर, जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा या व्यतिक्रम की दशा में दस दिन से अनधिक अवधि के साधारण कारावास से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई भी इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के अधीन अपराध के लिए एक बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर इन उप-धाराओं में से किसी के भी अधीन अपराध के लिए फिर से सिद्धदोष ठहराया जाता है, वह जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा या व्यतिक्रम की दशा में एक मास से अनधिक अवधि के साधारण कारावास से दण्डनीय होगा ।

भाग-3

सामान्य

निरीक्षकों की नियुक्ति ।

10. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तियों की निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति कर सकेगी ।

वादों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का वर्जन ।

11. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए या इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्यवाही द्वारा सम्पत्ति को पहुंचाई गई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जा सकेंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन, समाहर्ता या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, नाही कथित अपराध के किए जाने की तारीख से तीन मास के बाद, आरम्भ किया जाएगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

12. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां, धारा 13 के अधीन की शक्तियों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी ।

नियम ।

13. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, समय समय पर नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए बनाए जा सकेंगे :—

(क) धारा 5 के अधीन नोटिस देने का प्रारूप या रीति;
(ख) धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति;
(ग) नाशकजीव, पादप रोग, हानिकर खरपतवार का विवरण प्रकाशित करने की पद्धति और किया जाने वाला उपचार;
(घ) निरीक्षकों के लिए अपेक्षित अर्हताएं;
(ङ) ऐसा अधिकारी विहित करना, जिसे अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(च) नोटिस और उनकी तामील की पद्धतियों के लिए और अधिनियम के कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर विहित करना; और
(छ) साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन होंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृति ।

14. हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पैस्ट, डिसीज ऐण्ड नाक्शियस वीड्ज ऐक्ट, 1949 (1949 का 4) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 सितम्बर, 1986

संख्या डी0 एल0 आर0-6/86.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश अनाटमि ऐक्ट, 1966 के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह, राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966

(1966 का 4)

मृतकों के लावारिस शवों, का चिकित्सीय प्रयोजनों या शारीरिक परीक्षण, विच्छेदन, शल्य क्रिया और अनुसंधान कार्य के प्रयोजन क लिए, अस्पतालों और आयुर्विज्ञान और शिक्षण संस्थाओं को प्रदाय का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 है।

(2) इसका विस्तार 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में शामिल सभी क्षेत्रों में है।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अनुमोदित संस्था" से राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अनुमोदित अस्पताल या आयुर्विज्ञान या शिक्षण संस्था अभिप्रेत ह;

(2) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(3) "निकट नातेदार" से मृतक का निम्नलिखित में से कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन, और इसक अन्तर्गत कोई अन्य व्यक्ति है, जो—

(क) पारम्परिक नातेदारी में तीन पीढ़ियों के भीतर पारंपरिक या सांपार्श्विक सगोत्रता द्वारा और छः पीढ़ियों में सांपार्श्विक नातेदारी द्वारा, मृतक से सम्बन्धित है; या

(ख) मृतक या इस खण्ड में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित किसी नातेदार से या उपर्युक्त पीढ़ियों के भीतर किसी अन्य नातेदार से, विवाह द्वारा सम्बन्धित है;

स्पष्टीकरण :—"पारंपरिक" और "सांपार्श्विक" सगोत्रता पदों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 25 और 26 में क्रमशः उनके हैं;

(4) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(5) X X X X X;

(6) "लावारिस शव" से ऐसे मृतक का शव अभिप्रेत है जिसका कोई निकट नातेदार नहीं है या जिसके शव का दावा उसके किसी भी निकट नातेदार द्वारा ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया गया है जो विहित की जाए।

प्राधिकृत अधिकारी को निकट नातेदार के बारे में संदेह या विवाद निर्दिष्ट किया जाना

3. यदि कोई संदेह या विवाद उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक का निकट नातेदार है या नहीं, तो मामला प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय ऐसे निदेश पर अंतिम और निष्चायक होगा ।

प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति ।

4. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

लावारिस शवों का चिकित्सीय प्रयोजनों शारीरिक परीक्षणों आदि के लिए उपयोग किया जाना।

5. (1) जहां राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित या उसमें निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित अस्पताल में उपचाराधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे अस्पताल में हो जाती है और उसका शव लावारिस है, तो ऐसे अस्पताल के प्रभारी प्राधिकारी, यथा व्यवहार्य न्यूनतम विलम्ब में इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेगा और तब ऐसा अधिकारी उस लावारिस शव को, किसी चिकित्सीय प्रयोजन या शारीरिक परीक्षण, विच्छेदन, शल्य क्रिया या अनुसंधान कार्य के प्रयोजन के लिए, अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को सौंपेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अस्पताल से भिन्न अस्पताल में या कारागार में हो जाती है और उसका शव लावारिस रहता है, वहां ऐसे अस्पताल या कारागार के प्रभारी प्राधिकारी, यथा व्यवहार्य न्यूनतम विलम्ब में इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेंगे और ऐसा अधिकारी लावारिस शव को उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को सौंपेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में स्थायी निवास स्थान नहीं है जहां उसकी मृत्यु हुई है, उस क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थान में मरता है, और उसका शव लावारिस है, तो उस क्षेत्र का प्राधिकृत अधिकारी शव को अपने कब्जे में ले लेगा और अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए सौंप देगा ।

शास्ति

6 जो कोई भी, इस अधिनियम द्वारा यथा अनुज्ञात से अन्यथा, इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करने के आशय से, लावारिस शव का व्ययन करता है या व्ययन का दुष्प्रेरण करता है या अनुमोदित संस्था क किसी प्रभारी प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसे शव को सौंपने, कब्ज में लने, हटाने या उपयोग करने में बाधा डालता है, वह दोषसिद्धि पर जुर्माना से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

लावारिस शवों का कब्जा प्राप्त करने में पुलिस और अन्य अधिकारियों का सहायता करने का कर्तव्य ।

7. पुलिस और लोक स्वास्थ्य विभागों के सभी अधिकारी और स्थानीय प्राधिकरण के नियोजन में सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी, इस अधिनियम क अधीन प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को लावारिस शव का कब्जा प्राप्त करन में सहायता के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करन के लिए, आबद्ध होंगे ।

अधिनियम के अधीन कार्य कर रह व्यक्तियों का संरक्षण ।

8. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अधिकारियों का लोक सेवक होना

9. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

नियम ।

10. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम ऐसी अवधि विहित कर सकेंगे जिसके भीतर निकट नातेदार मृतक के शव का दावा करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र में जिसमें कि वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु, नियम के ऐसे उपान्तरण या बातिलिकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेंगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।